

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग  
(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

---

नदबई 074 (सामान्य) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा का निर्वाचन

---

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना मकान नं. 527, एस.पी.एम नगर, भरतपुर बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रयोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर

तारीख : 11-12-2018

(नीरज कुमार मीना)  
रिटर्निंग अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
074 नदबई विधानसभा क्षेत्र

**Conduct of Election Rules, 1961**  
**(Statutory Rules and Order)**  
**FORM 21C**

(See rule 64)

*(For use in General Election when seat is contested)*

**Declaration of the result of Election under section 66 of the**  
**Representation of the People Act, 1951.**

---

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from Nadbai 074  
(General) Assembly constituency.

---

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the  
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of  
Elections Rules, 1961, I declare that—

**Shri Joginder Singh Awana M. N. 527, S.P.M. NAGAR, BHARATPUR**  
sponsored by **BAHUKAN SAMAJ PARTY** has been duly elected to fill the seat in  
that House from the above constituency.

**Place : M.S.J. College, Bharatpur**

**Date : 11-12-2018**

  
(Neeraj Kumar Meena)  
Returning Officer

Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate  
074 Nadbai Assembly Constituency